रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 27, 1984/वैशाख 7, 1906
No. 133] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 27, 1984/VAISAKHA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1984

सं. 115/84-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 308 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 9 के खण्ड (ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनापाथी[1] (आन्ध्रप्रदेश) में अनापाथी[2] रेलवे स्टेशन को आयातित माल की

उतराई और निर्यात माल की लदाई के लिए या ऐसे माल के किसी वर्ग के लिए अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो के रूप में नियुक्त करती है ।

[फा. सं. 434/10/81-सीमाशुल्क-4]
सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 1984

No. 115|84-CUSTOMS

G.S.R. 308(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Anaparthi Railway Station at Anaparthi (Andhra Pradesh) as Inland Container Depot for the unloading of imported goods and the loading of export goods or any class of such goods.

[F. No. 434|10|81-Cus. IV]
SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984